



505/1

दूरभाष- 2286709  
2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-228001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 4397 / 05 / 76 / एक / 2016-17

दिनांक : 14 दिसम्बर 2016

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-बरेली।

विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
बैंक आफ बड़ौदा	26750100005245	IFSC Code BARB0BLYBAZ	139.220

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन बजट	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किस्त की धनराशि का प्रेषण
1	बरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 फरीदपुर	वार्ड नं0 01 व 14 मौ0 मिधान एवं महादेव में मुन्ना पचौरी के मकान से युनूस के प्लाट तक एवं इतवारी के मकान से कल्लू के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	5.819
2	बरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 फरीदपुर	वार्ड नं0 07 मौ0 मिधान में इकबाल के मकान से आशिक के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	4.818
3	बरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पं0 देवरनिया	वार्ड नं0 07 में खतीज के मकान से अकबर के मकान तक, अकबर के मकान से रहीश के मकान तक, मुड़िया बाजार से हफीज के मकान तक, रफीक मार्केट से मौ0 अली के मकान तक एवं वार्ड नं0 02 में रामपाल के मकान से वाया सीताराम के मकान से होते हुए चेताराम के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	8.759
4	बरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पं0 देवरनिया	वार्ड नं0 11 मौ0 कुरैशियान में बुंदन के मकान से कल्लू के मकान तक एवं प्राइमरी स्कूल से तौकीर के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	8.688
5	बरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पं0 देवरनिया	वार्ड नं0 05 मौ0 शाहबाद में यासीन फाटक से बवलू चिकन वाले की दुकान से होते हुए इसाक महागीर के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	8.359
6	बरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पं0 फतेहगंज पश्चिमी	वार्ड नं0 08 मौ0 अन्सार उत्तरी में चंगे मुल्ला जी के मकान से रेलवे लाईन तक एवं वार्ड नं0 13 में पी0एच0सी0 सड़क से ईदगाह रोड तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	8.777
7	बरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पं0 फतेहगंज पश्चिमी	वार्ड नं0 08 मौ0 अन्सार उत्तरी में शाही रोड से दीपक धर्म काँटा होते हुए लतीफ के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	8.176



505/2

दूरभाष- 2286709

2286710

नव चेतना केंद्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किस्त की धनराशि का प्रेषण
8	बरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० शेरगढ़	वार्ड नं० 06 मौ० कस्सावान में सलीम के मकान से महरबान के मकान तक, शकील के मकान से भूरा खाँ के मकान तक, मुकीम के मकान से बबलू खान के मकान तक, इकरार नबी के मकान सुल्तान खान के मकान तक एवं शहीद बेग के प्लाट से बाबू खान के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	8.488
9	बरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० शेरगढ़	वार्ड नं० 06 मौ० कस्सावान में मदरसा से इकरार नबी के मकान तक एवं काशीराम के मकान से गौतम के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	9.035
10	बरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० शेरगढ़	वार्ड नं० 05 मौ० कांवर किला में महेन्द्र पाल के मकान से सत्यपाल के मकान तक, शम्भू लाल शर्मा के मकान से चुटकान के मकान तक, जगप्रसाद के मकान से नहर तक, लल्ला बाबू के मकान से जगप्रसाद के मकान तक एवं भोला के मकान से बाबू हसन के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	7.567
11	बरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० शेरगढ़	वार्ड नं० 07 में मंदिर से भगवानदास के मकान तक, मुखिया के मकान से धर्मपाल के मकान तक वार्ड नं० 09 में जाहिद के मकान से भूरा के मकान तक एवं धसीर खान से बाबू खान के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	6.606
12	बरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० धौराटांडा	वार्ड नं० 12 मशजिद नाई में गर्वी मस्जिद से अब्दुल जलील के मकान तक एवं अख्तर हाजी के मकान से मुन्ना के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	7.531
13	बरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० धौराटांडा	वार्ड नं० 05 इस्लाम नगर में डा० जावेद के मकान से राशिद के मकान तक एवं वार्ड नं० 04 तलैया में डा० जावेद की दुकान से कब्रिस्तान के कोने तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	5.636
14	बरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० धौराटांडा	वार्ड नं० 10 गांधी नगर में जुल्फीकार मियाँ के मकान से इकबाल बिलायती के मकान तक, वार्ड नं० 12 मशजिद नाई में जलीश भाई के प्लाट से वकील अहमद के मकान तक एवं वार्ड नं० 14 व 03 मौ० नायक में फिरोज मास्टर के मकान से शगीर अहमद के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	8.732
15	बरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० धौराटांडा	वार्ड नं० 11 मौ० तेली में मंजूर अहमद के मकान से अनवार के मकान तक, वार्ड नं० 08 मौ० हिमालय में हफीज जाहिद के मकान और गोदाम से मेन रोड तक, वार्ड नं० 13 मौ० जामा मस्जिद में युसूफ वाड़ा के मकान से हाजी यामीन के मकान तक एवं कल्लू अंसारी के मकान से खलील के मकान से होते हुए हबीब बाबा और बाबू के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	8.777



505/3

दस्तावेज- 2286709

2286710

नव चेतना केंद्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
16	बरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० धौराटांडा	वार्ड न० 08 मौ० तेली में हाजी रफीक के मकान से पप्पू के मकान तक, वार्ड न० 11 मौ० हिमालय में अब्दुल सलाम से अब्दुल्ला के मकान तक एवं तौकीर मौलाना के मकान से अब्दुल वकील के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	7.514
17	बरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० निजावत खान	वार्ड न० 12 निजावत खाँ में यामीन के मकान से औश के मकान तक, इरशाद के मकान से इमरान के प्लाट तक, वार्ड न० 10 ठिरिया में शहंशाह वली के मकान से हलीम के मकान तक, बाईपास रोड से पावर हाउस के प्लाट तक एवं वार्ड न० 02 नई बस्ती में नबी शेर के मकान से जिल्लेदार खाँ के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	5.587
18	बरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० निजावत खान	वार्ड न० 07 मौ० हमिदी मस्जिद में जाकिर खाँ के मकान से मासूम खाँ के मकान तक, अतर खान के मकान से खारा नाला तक, हाजी युनूस के प्लाट से यूसुफ खान के मकान तक एवं किरमत अली के मकान से इरसाद खान के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	5.365
19	बरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० निजावत खान	वार्ड न० 06 मौ० पुलिया नाईयान में शफीक के मकान से आबिद खान के मकान तक, वार्ड न० 04 में बरकति मस्जिद से खडंजा रोड तक एवं नगर पंचायत आफिस के कोने से लईक अहमद के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	4.986
	योग				139.22

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जाये उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जाये उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।



505/4

दूरभाष- 2286709

2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि झूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त परियोजनाओं में सेन्टेज के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि अभिकरण पर नहीं रोकी गयी है।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक

### पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक